

# नेहरु युवा केन्द्र संगठन

## Nehru Yuva Kendra Sangathan

स्वायत्तशासी संस्था युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार an Autonomous Body under the Ministry of Youth Affairs & Sports Government of India



क्रमांकः 11040/ ने.यु.के.सं / कार्मिकः परिपत्र/2023/ 🖰 🎖 6

दिनांक: 29/09/2023

### परिपत्र

विषयः सेवा संबंधी मामलों पर ने.यु.के.सं के कर्मचारियों द्वारा उचित माध्यम को नजरंदाज कर सीधे आवेदन क्षेजने के संबंध में ।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह देखा गया है कि विभिन्न स्तरों पर नेहरू युवा केन्द्र संगठन के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा आवेदन भेजने के संबंध में उचित माध्यम को नजरंदाज करते हुए सीधे उच्च अधिकारियों को आवेदन भेजने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। कर्मचारियों द्वारा उनके सेवा संबंधी मामलों के संबंध में उचित माध्यम को पूरी तरह से नजरंदाज करते हुए आवेदन या उसकी प्रति को सीधे माननीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री, युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री, सचिव (युवा कार्यक्रम ) तथा संयुक्त सचिव (युवा कार्यक्रम ) / महानिदेशक (ने.यु.के.स. ) को भेजा जा रहा है।

- 2. इस संबंध में ने.यु.के.स., मुख्यालय द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं, हालांकि उक्त निर्देशों/दिशानिर्देशों के उल्लंघन के मामले उच्च अधिकारियों द्वारा लगातार संज्ञान में लिए जा रहे हैं, जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा बहुत गंभीरता से लिया गया है।
- 3. तदनुसार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/08/2013-Estt (A)-III दिनांक 06.06.2013 के अनुसार, ने.यु.के.सं. के सभी अधिकारियों / कर्मचारियों को यह सूचित किया जाता है कि अपनी सेवा से संबंधित अपना अभ्यावेदन केवल उचित माध्यम द्वारा भेजें, अन्यथा निर्देशों के उल्लंघन के लिए संबन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली 1964 के नियम 3 (1) (iii) के प्रावधानों के अनुसार समुचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इसे आवश्यक अनुपालन हेतु सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

medicon

सत्य प्रकाश पटनायक

निदेशक (कार्मिक)

सेवा में:- ने.यु.के.सं. के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी ।

#### प्रतिलिपी

- निजी सचिव, महानिदेशक, ने.यु.के.सं, नई दिल्ली।
- समस्त निदेशक और क्षेत्रीय निदेशक, ने.यु.के.सं "आवश्यक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए"
- सभी राज्य निदेशक, ने.यु.के.सं "सभी कर्मचारियों को आवश्यक अनुपालन करने के दिशानिर्देश हेतु।"
- संबंधित फ़ाइल.

भूतल, 4 जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 Ground Floor, 4 Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001 Phone : 011-23442800 Visit us at http://www.nyks.nic.in



# नेहरु युवा केन्द्र संगठन

## Nehru Yuva Kendra Sangathan

स्वायत्तशासी संस्था युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार an Autonomous Body under the Ministry of Youth Affairs & Sports Government of India



No.: 11040/NYKS/PERS: circular/2023/936

Date:29/09/2023

### Circular

Subject: Representation from employees of NYKS on service related matters by-passing the prescribed channel-reg.

It is observed by the Competent Authority that there is an increasing tendency on the part of Officers and employees of NYKS at different levels to by-pass the prescribed channels of representation and write directly to the high authorities totally ignoring the prescribed channels. Representation(s) or copy of representation(s) are being forwarded by the employees to the Minister of Youth Affairs & Sports, Minister of State for Youth Affairs & Sports, Secretary (YA) and Joint Secretary (YA)/Director General (NYKS) directly by-passing the prescribed channel of submission of representation regarding their service related matters.

- 2. Instructions in this regard have been issued from time to time by NYKS, Headquarters, however cases of violation of said instructions/guidelines are being reported frequently by the higher authorities which has been viewed very seriously by the Competent Authority.
- 3. Accordingly, in view of the DoPT OM No. 11013/08/2013-Estt (A)-III dated 06.06.2013 (enclosed), I am directed to convey that all the Officers and employees of NYKS must send their representation regarding their service related matter, **through proper channels only**, failing which necessary Disciplinary Action will be initiated against the Officer/employee for violation of the instructions as it can rightly be treated as an unbecoming conduct attracting the provisions of Rule 3 (1) (iii) of the CCS (Conduct) Rules, 1964.

This issues with the approval of the Competent Authority for necessary compliance.

Satya Prakash Pattnaik

Director (Personnel)

To:- All employees of NYKS.

#### Copy to:

- PS to Director General, NYKS, New Delhi
- All Directors and Regional Directors, NYKS "for ensuring necessary monitoring"
- All State Directors, NYKS "with request to direct all employees for ensuring necessary compliance"
- Concerned file.